

11. संरक्षक का नाम एवं निवास स्थान का पता व उनसे सम्बन्ध -

1. (अ) पिता/माता/संरक्षक का नाम
- (ब) पिता/माता/संरक्षक की वार्षिक आय रु. व्यवसाय कार्यालय का पता
- (स) निवास स्थान का पता
2. (अ) स्थानीय संरक्षक का नाम एवं उनसे सम्बन्ध
- दूरभाष नं. निवास स्थान कार्यालय
3. प्रार्थी का स्थानीय डाक का पता

सूचना : (1) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद अन्य कोई प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

(2) पते में कोई परिवर्तन होने पर कार्यालय को तुरन्त सूचित करें। गलत पता देना आपराधिक कार्य माना जाएगा।

12. प्रवेश आवेदन के समय छात्रों के लिए वचनबद्धता :

मैं (छात्र/छात्रा का नाम) घोषित करता/करती हूँ कि -

(1) मैंने विवरणिका में दिए गए नियम व उपनियम पढ़ लिये हैं। (2) आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं जहाँ तक मेरी जानकारी है, सही है तथा कुछ भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। (3) मैं वचनबद्ध हूँ कि विश्वविद्यालय/विभाग में एक अनुशासित छात्र/छात्रा के रूप में रहूँगा/रहूँगी और विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निकाले गये आदेशों का पूर्णतः पालन करूँगा/करूँगी। (4) मैं बोर्ड / विश्वविद्यालय परीक्षा में कभी अनुचित तरीकों का प्रयोग करने का/की अपराधी नहीं रहा/रही। (5) विश्वविद्यालय अधिनियमों / अध्यादेशों / नियमों / पाठ्यक्रम एवं पुस्तकों में कोई परिवर्तन होने पर चाहे वह संशोधन द्वारा हो या पुनः रचना द्वारा केवल उन्हें जहाँ विश्वविद्यालय निश्चय करें मैं उन परिवर्तनों का पालन करूँगा/करूँगी जो उन वर्षों पर लागू होते हैं जिन्हें मैंने परिवर्तन के समय पूरा नहीं किया। (6) यदि मैं अपने अध्ययन के दौरान कोई नौकरी स्वीकार करता/करती हूँ तो संस्था को तत्काल इस संबंध में सूचित करूँगा/करूँगी। (7) मुझे किसी दण्डनीय अपराध के लिए दण्डित नहीं किया गया और न किसी दंडनीय मामले में जमानत पर रिहा किया गया है। (8) मेरे विरुद्ध किसी भी अदालत में किसी दंडनीय अपराध अथवा अनैतिक कृत्य के लिए कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। (9) मेरे विरुद्ध विश्वविद्यालय / संघटक / सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा अन्य किसी सक्षम अधिकारी द्वारा कोई एफ. आई. आर. नहीं लिखाई गई है। (10) मैंने पिछले वर्ष अनुशासनहीनता का कोई कार्य नहीं किया है। (11) गत वर्ष चीफ वार्डन/वार्डन द्वारा विश्वविद्यालय के किसी भी छात्रावास में मुझे अनधिकृत आवासी सूचित नहीं किया गया था। (12) यदि मैं प्रवेश अर्हता को पूरा नहीं करता/करती हूँ तथा मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना मिथ्या पायी जाती है तो मेरा प्रवेश रद्द किया जा सकता है। (13) राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2006 के अन्तर्गत यदि मैं विश्वविद्यालय की संपत्ति को विरूपित करता हूँ/नुकसान पहुँचाता हूँ तो मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी तथा मैं अथवा मेरे अभिभावक क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य होंगे। (14) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार मैं विश्वविद्यालय में किसी प्रकार की रैगिंग एवं अवांछित गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होऊँगा। (15) यदि मैं विश्वविद्यालय द्वारा वांछित उपस्थिति पूरी नहीं करता/करती हूँ तो मुझे विश्वविद्यालय परीक्षा में नियमित परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी।

13. मैंने निम्नलिखित प्रलेखों की मूल तथा सत्यापित प्रतिलिपियां संलग्न की है। (सम्बन्धित को चिह्नंकित करें)

1. अंकतालिका
2. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र
3. प्रवजन प्रमाण पत्र महिला
4. जिलाधीश/तहसीलदार/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट से प्राप्त अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग का प्रमाण पत्र
5. प्रवेश में रियायत सम्बन्धी विवरणी की पुष्टि हेतु प्रमाण-पत्र।
6. हाई स्कूल/सैकण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र (जन्म तिथि के प्रमाणार्थ)
7. चरित्र प्रमाण-पत्र गत संस्था के प्राचार्य / प्रधानाचार्य का (नियमित विद्यार्थियों के लिए) तथा राजपत्रित अधिकारी का (स्वयंपाठी विद्यार्थियों के लिए)
8. माता/पिता/संरक्षक (यदि माता/पिता जीवित नहीं) का आय प्रमाणपत्र।
9. नियोजक द्वारा दिये गये आग्र अध्ययन हेतु अनुमति-पत्र को सत्यापित प्रतिलिपियां (यदि आवेदक नौकरी में हो तो)
10. अन्तराल वर्षाविधि हेतु प्रमाणीकरण के लिए शपथ-पत्र (नोन ज्यूडिशियल 10/- रु. का नोटेरी पब्लिक से सत्यापित)
11. रैगिंग एवं अवांछित गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होने का शपथ-पत्र (नोन ज्यूडिशियल 10/- रु. का नोटेरी पब्लिक से सत्यापित)
12. विविध संलग्न प्रमाण-पत्रों की केवल संख्या लिखें - मूल सत्यापित

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

(पूरा नाम))

माता/पिता/संरक्षक का प्रमाण-पत्र

- मैं (माता/पिता/संरक्षक का नाम) प्रमाणित करता हूँ कि -
- (1) मैं (छात्र/छात्रा का नाम) विभाग कक्षा के शुल्क व अन्य देय राशि का नियमित भुगतान करूंगा/करूंगी और उसके व्यवहार व अनुशासन के लिए उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी।
 - (2) आवेदन पत्र में दिया गया विवरण सही है, और यदि उसमें कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी के निर्णय पर मेरे आश्रित का प्रवेश निरस्त माना जायेगा।
 - (3) मेरे आश्रित द्वारा विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को विरूपित करने / नुकसान पहुँचाये जाने पर मैं इसकी क्षतिपूर्ति करूंगा/करूंगी।

दिनांक

हस्ताक्षर

(पूरा नाम))

माता-पिता/संरक्षक द्वारा वार्षिक आय की घोषणा

वित्तीय वर्ष : 2016 - 2017

(माता-पिता के जीवित रहते हुए अन्य कोई व्यक्ति संरक्षक नहीं हो सकता)

(नोट - छात्राओं के लिए इस घोषणा-पत्र की आवश्यकता नहीं है।)

1. मैं श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी माता/
पिता/संरक्षक श्री (छात्र का नाम)
जिसने कि कक्षा वर्ष हेतु जगद्गुरु रामानन्दाचार्य
राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर के विभाग में प्रवेश चाहा है।
मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी सभी स्रोतों की सम्मिलित वार्षिक आय रु. है तथा मैं इस
वित्तीय वर्ष में आयकर देता हूँ / नहीं देता हूँ।
2. चूंकि मेरे संरक्षित के पिता का देहावसान दिनांक को हो गया है। तब से मैं (छात्र
से नाम) का कानूनी संरक्षक हूँ तथा वह मेरा (छात्र से सम्बन्ध) है। (मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

स्थान

दिनांक

(माता/पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर)

.....
प्रथम/द्वितीय श्रेणी के दण्डनायक/आयकर/अधिकारी/
विश्वविद्यालय शिक्षक/राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी पब्लिक
के हस्ताक्षर कार्यालय मुद्रा व दिनांक सहित

.....
नियोजक के हस्ताक्षर, कार्यालय मुद्रा एवं दिनांक सहित
(केवल वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए आवश्यक)

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर

सत्र 2016-2017

आवेदन पत्र संख्या आवेदन पत्र प्राप्ति पंजिका संख्या दिनांक
को श्री/कुमारी/श्रीमती से विभाग के लिए संयुक्ताचार्य
सेमेस्टर / आचार्य पूर्वाह्न / उत्तरार्द्ध / विद्यानिधि (एम. फिल) / शिक्षाचार्य / शिक्षाशास्त्री कक्षा में
प्रवेश हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया।

संलग्न प्रमाण पत्रों की संख्या -

(क) मूल -

(ख) सत्यापित -

हस्ताक्षर लिपिक

नोट : इस प्राप्ति को सुरक्षित रखें तथा परामर्श के समय अपने साथ लायें।

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर

सत्र 2016-2017

विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये रियायत प्राप्त करने हेतु भरा जाने वाला प्रपत्र

- निर्देश : (क) यह प्रपत्र भरने और हस्ताक्षरित शपथ पत्र देने पर ही प्रवेश में किसी प्रकार की छूट दिये जाने पर विचार किया जावेगा।
(ख) प्रवेश आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय इस प्रपत्र को प्रत्याशी द्वारा पूर्ण रूप से भरा जाना चाहिए।
(ग) रियायत प्राप्त करने के अनुरोध की पुष्टि हेतु मूल-प्रमाणपत्र आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न किये जाने चाहिये। प्रमाण-पत्रों की फोटोस्टेट अथवा प्रमाणित प्रतिलिपि स्वीकार नहीं की जाएगी। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद अलग से प्रस्तुत किये गये मूल एवं सत्यापित प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
(घ) नियमानुसार प्रत्याशी को प्रवेश की छूट दी जा सकती है जो कि उसके हित में होगी।

अपेक्षित रियायतों का विवरण :

- (अ) सैनिक कर्मचारियों के आश्रित (ब) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित जो गैर आयकरदाता है।
(स) राष्ट्रीय सेवा आयोजन में भग लेने का विवरण (द) एन. सी. सी.
(य) स्काउटिंग (र) पर्वतारोहण
(ल) विविध स्तरों पर सह-शैक्षणिक गतिविधियां :

- (1) अन्तर्विश्वविद्यालय स्तर
(2) अन्तरराष्ट्रीय स्तर
(3) अन्तर्विद्यालय खेल प्रतियोगिता
(4) अन्तर्महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता
(5) अन्तर्विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता
(6) राष्ट्रीय सीनियर/जूनियर खेल प्रतियोगिता
(7) राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता
(8) अन्तरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता

शपथ-पत्र

मैं पुत्र / पुत्री
जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की कक्षा वर्ष विभाग
में प्रवेश चाहता / चाहती हूँ तथा शपथपूर्वक कहता / कहती हूँ कि :

- (अ) मैंने विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए रियायत प्राप्त करने की पुष्टि के मूल एवं सत्यापित प्रमाण-पत्र संलग्न किए हैं (संख्या लिखिए)
(ब) विश्वविद्यालय की किसी भी स्तर पर मेरे किसी प्रमाण-पत्र के फर्जी या गलत पाये जाने पर मुझे प्रवेश नहीं दिये जाने या यदि प्रवेश दिया तो निरस्त करने, मेरे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने तथा मेरे द्वारा दिये गये शुल्क को जब्त करने का अधिकार होगा।

हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण

महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षक/सदस्य-विधानसभा/राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी पब्लिक
स्थान
दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(पूरा नाम)
स्थान
दिनांक

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर

आवेदन पत्र क्रमांक :

सत्र 2016-2017

छात्र स्कूलर नं. :

विभागीय अभिलेख हेतु भरा जाने वाला प्रपत्र

..... पाठ्यक्रम हेतु प्रवेशावेदन पत्र

- छात्र का पूरा नाम (हिन्दी में) :
(अंग्रेजी में) :
 - पिता का नाम :
 - माता का नाम :
 - संरक्षक का नाम :
(पिता एवं माता दोनों के जीवित नहीं होने पर)
 - संरक्षक का छात्र से सम्बन्ध :
 - जन्म तिथि : दिनांक माह वर्ष
 - लिंग : पुरुष महिला
 - उत्तीर्ण अंतिम परीक्षा का विवरण : परीक्षा का नाम विषय
पूर्णांक प्राप्तांक प्रतिशत
सत्र
महाविद्यालय का नाम व पूर्ण पता
 - योग्यता परीक्षा में अंतराल की अवधि :
 - छात्र/छात्रा का संवर्ग : (उचित स्थान पर ✓ का चिह्न अंकित करें एवं प्रमाणपत्र संलग्न करें)
- | सामान्य | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | विशेष पिछड़ा वर्ग | अन्य पिछड़ा वर्ग
(क्रीमीलियर को छोड़कर) | कश्मीरी विस्थापित |
|---------|---------------|-----------------|-------------------|--|-------------------|
| | | | | | |
- विकलांग : हाँ नहीं
 - अभिभावक/संरक्षक का व्यवसाय व वार्षिक आय : व्यवसाय वार्षिक आय रु.
 - अभिभावक/संरक्षक आयकरदाता है या नहीं : हाँ नहीं
 - वर्तमान पता :
पिनकोड
 - सम्पर्क सूत्र : मोबाईल दूरभाष
 - प्रवेश शुल्क विवरण : चालान/रसीद सं. दिनांक राशि

छात्र / छात्रा का
स्वप्रमाणित
छायाचित्र

हस्ताक्षर

विभागीय प्रवेश समिति सदस्य

अभिभावक के हस्ताक्षर

छात्र के हस्ताक्षर

(पूरा नाम

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुरम्

छात्र परिचयपत्रम् 2016 - 2017

क्रमांक :



छात्र द्वारा
हस्ताक्षरितम्

नाम
पितृनाम
जन्मतिथि:

विभाग: कक्षा वर्ष:

संकेत:

दूरभाष: चलदूरवाणी

ह. विभागाध्यक्ष

ह. निदेशक शैक्ष.परि.

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुरम्

छात्र परिचयपत्रम् 2016 - 2017

क्रमांक :



छात्र द्वारा
हस्ताक्षरितम्

नाम
पितृनाम
जन्मतिथि:

विभाग: कक्षा वर्ष:

संकेत:

दूरभाष: चलदूरवाणी

ह. विभागाध्यक्ष

ह. निदेशक शैक्ष.परि.